न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी-3034/2018/टीकमगढ़/भू.रा

बहरपाल सिंह तनय श्री रूपसिंह ठाकुर

निवासी ग्राम बकपुरा तह.वजिला टीकमगढ़

..आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0शासन

..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्र0क्र04निग0/2015-16मे पारित आदेश दिनांक 26/3/18 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ताकी विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता की ग्राम बकपुरा तह.वजिला टीकमगढ़ के अंतर्गत ख.न.513/2 ,515,516,256,तत्कालीन नायब तहसीलदार समरा केप्र0क्र011/अ-19(4)85-86 आदेश दिनांक 18/3/86 के द्वारा प्रदत्त किया गया था जिसकी इन्द्राजी इत्तलायबी पंजी (शासकीय आदेशोको अमल करने का रजिस्टर) मे अंकित किया गया था तत्पश्चात उक्त इत्तलायबी पंजी के आधार पर उक्त अमल राजस्व रिकार्ड मे अंकित किए जाते है परंतु तत्कालीन पटवारी की भूल से उक्त अमल नही किया गया जो पटवारी की भूल रहीहै

2. यहकि उक्त पट्टा प्राप्ति के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने प्रश्नाधीन भूमि मे मेहनत मजदूरी करके उक्त भूमि मे फसल उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा कर वर्ष 1999 एव वर्ष 2000 मे अपने परिवार मे कुछ भूमियां क्रय की जो समस्त परिवार मे भूमि का रकवा 10.771हे0 होगया था उक्त रकवे से अप्रसन्न होकर नायब तहसीलदार समरा केद्वारा एक प्रतिवेदन श्रीमान अनुविभागीयअधिकारी को भेज दिया जिसमे पटवारी प्रतिवेदन मे यह लेख था कि हरपाल सिंहकेपरिवार मे 10.771हे0 भूमि है और इस आधार पर श्रीमान अनुविभागीयअधिकारी ने प्र0क्र0224/बी121/10-11दिनांक1/09/2011 के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता का पट्टा आदेश दिनांक 18/3/1986 को निरस्त कर दिया इससे दुखितहोकर निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां दायर की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3034/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	आवेदक की ओर से श्री डी.के. पासी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-03-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पट्टा दिनांक को आवेकद व उसके परिवार के पास 5.83 हैक्टेयर भूमि धारित थी । जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के नाम का पट्टा खारिज किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	